प्रशासन गॉवो के संग अभियान –2021

# अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), शिवगंज

केम्प कोर्ट रोवाडा भागीरथ राम, आर0ए0एस0

| वादीगण | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1.कपूराराम पुत्र सांकला उम्र बालिग<br>2.चौथीबाई पत्नि स्व0 नोपा<br>3.लक्ष्मण पुत्र स्व0 नोपा<br>4.श्रवण पुत्र स्व0 नोपा<br>5.अमृतलाल पुत्र स्व0 नोपा जातियान<br>कुम्हार निवारीगण रोवाडा तह.शिवगंज | बनाम | 1. सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज |

वाद संख्यां– 20/2021

## राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि एंव 136 रा.भू राजस्व अधियिनयम

**निर्णय :** दिनांक 20.10.2021

वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव 136 राजस्व भू राजस्व अधिनियम ी विरूद्व प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) शिवगंज के न्यायालय में पेश किया जो दिनाक 5.7.2021 को दर्ज रजिस्ट्रर किया गया जाकर प्रतिवादी/अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जो बाद तामील शामिल पत्रवली किया गया। जिसका सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है– वादीगण का निवेदन है कि मौजा रोवाडा पटवार हल्का रोवाडा तहसील शिवगंज में कृषि आराजी खसरा नम्बर 224 रकबा 6--08 बीघा किस्म ब–। खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सवत् 2063–2066 मे उनके नाम से खातेदारी दर्ज है। दिनाक 21.11.2014 को नोपा के स्वर्गवास होने के बाद नामान्तरकरण संख्या 2138 स्वीकृत किया गया जिसकी पालना मे राजस्व रेकर्ड मे नोपाराम की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर वारिसान लक्ष्मण ,कालुराम ,श्रवण अमृतलाल पिसरान नोपा व चौथीबाई पत्नि नोपा कुम्हार देह खातेदारी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया गया। जबकि कालूराम के नाम से स्व0 नोपराम के कोई संतान पुत्र नही है उपरोक्त नाम सेवन से प्रवीणकुमार के स्थान पर घरेलू नाम कालुराम राजस्व रेकर्ड मे गलत दर्ज किया गया। नोपाराम की दिनाक 23.11.2011 को मृत्यु हो चुकी है तथा दिनाक 29.8.2018 को कालूराम का भी स्वर्गवास हो चुका है। वर्तमान जमाबंदी मे प्रवीण कूमार के स्थान पर कालूराम गलत नाम दर्ज होने से उक्त वाद मय प्रार्थना पत्र कालूराम के वारिसान माता/भाई/व चाचा की और से पेश किया गया है। अतः नामान्तरकरण के दौरान राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नाम प्रवीणकुमार के स्थान पर कालूराम गलत दर्ज होने तथा प्रवीण कुमार की अविवाहित मृत्यु होने से उक्त राजस्व खातेदारी भूमि मे कालूराम के स्थान पर प्रवीणकुमार पुत्र नोपाराम दुरस्त करने व खातेदारी घोषण की डिकी आदेश फरमावे।

प्रशासन गॉवो के संग अभियान–2021 केम्प कोर्ट रोवाडा मे पत्रावली पेश हुई वाद पक्षकार उपस्थित। तहसीलदार शिवगंज द्वारा सरकार की और से जवाब मे बताया कि नोपाराम की मृत्यु के पश्चात जरिये उत्तराधिकारी नामान्तकरण संख्या 2138 दिनाक 21.11.2014 से लक्ष्मण, कालुराम, श्रवण, अमृतलाल पि0 नोपा ,चौथीबाई पत्नि नोपा दर्ज हुआ है। पक्षकारो द्वारा कालूराम की जगह प्रवीणकुमार नाम दुरस्त किये जाने हेतु साक्ष्य दस्तावेज आधारकार्ड, मृत्यु प्रमाणपत्र, पेश किये है जिसके आधार पर कालूराम पुत्र नोपा की जगह प्रवीण कुमार पुत्र नोपाराम शुद्व कर दुरस्त रेकर्ड कराने हेतु अभिशषा पेश की है। पत्रावली मे उपलब्ध रेकर्ड तथा तहसीलदार शिवगंज की और से प्रस्तुत जवाब एंव साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर वादी का वाद को स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी संवत् 2071–2074 मौजा रोवाडा के खाता संख्या 192 खसरा नम्बर 2[illegible] का दर्ज गलत नाम कालूराम पुत्र नोपा के स्थान पर प्रवीण कुमार पुत्र नोपाराम दुरस्त क[illegible]राम की मृत्यु होने से कालूराम के स्थान पर उनकी माता चौथीबाई पत्नि नोपा[illegible] तहसीलदार शिवगंज को निर्णय अनुरूप राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया जा[illegible] दिया जाता है। पर्चा [illegible] अलग से जारी हो। निर्णय खुले कोर्ट केम्प रोवाडा मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.03 16:19:14 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिवगंज

बसिब्बा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 20.10.2021 को जारी किया जाता है।

(भागीरथ राम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)